जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

1. **योजना का नाम–** **एम्बूलेंस सहायता योजना**
2. सम्बन्धित विभाग का नाम– श्रम विभाग, उ0प्र0
3. कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम– श्रीमती वन्दना
4. कार्यालय का पता– कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
5. कार्यालय का दूरभाष– 0131–2620910
6. योजना के आरम्भ होने की तिथि– 4 फरवरी 2009
7. योजना की समाप्ति की तिथि–
8. योजना का प्रकार–केन्द्रीय/राज्य/जिला/अन्य– राज्य
9. योजना का संक्षिप्त विवरण– पंजीकृत निर्माण श्रमिक के इलाज हेतु कार्य स्थल, निवास स्थल से चिकित्सालय तक एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाने की स्थिति 10 कि0मी0 की दूरी तक 300/– रू0 तथा 10 कि0मी0 की दूरी से अधिक की दूरी पर 10 रू0 प्रति कि0मी0 की दर से अधिकतम 600/– रू0 अथवा वास्तविक व्यय जो कम हो, उसकी प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी।
10. **<u>योजना के लिये निर्धारित अर्हता–</u> 1–** इस योजना के अन्तर्गत उपयोग में लायी जाने वाली एम्बुलेंस पर वास्तविक व्यय होने वाली धनराशि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस की दरों से अधिक नहीं होगी। 2– परिवार से तात्पर्य लाभार्थी श्रमिक उस पर आश्रित माता–पिता, पति–पत्नी एवं उसके सबसे कम आयु के पुत्र तथा अविवाहित पुत्री से होगा।
    3–पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति। 4– किराये पर ली गयी एम्बुलेंस की रसीद जिस पर एम्बुलेंस का पंजीयन नं0 तथा मालिक/चालक का मो0 अथवा दूरभाष न0 तथा तिथि, समय एवं की गई यात्रा का विवरण अंकित होगा। 5– उक्त किराये की रसीद उस चिकित्सालाय द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये जहां रोगी का इलाज हुआ हो। 6– एम्बुलेंस की यह सुविधा केवल आवास अथवा कार्य स्थल से अस्पताल तक जाने की ही होगी, वापसी पर यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
    7– लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में बैंक खाता नं0 शाखा इत्यादि का भी विवरण अंकित किया जायेगा।
11. योजना किस वर्ग विशेष के लिये है–**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांग/सामान्य जाति/सीममान्त किसान/बी0पी0एल0/ए0पी0एल0**
12. योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया– क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
13. आवेदन पत्र/फार्म प्राप्त करने का स्थान– कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
14. आवेदन पत्र/फार्म का शुल्क– निःशुल्क
15. आवेदन पत्र/फार्म के साथ आवश्यक संलग्नको का विवरण– क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
16. यदि आवेदन ऑनलाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस– प्रभावी नहीं हैं।
17. योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम– सहायक लेखाकार, मोबाईल नम्बर–0131–2620910
18. योजना के सम्बन्ध में जानकारी/शिकायत करने के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नम्बर/ई–मेल– 0131–2620910
19. विभाग की वेबसाईट का एड्रेस– www.uplabour.nic.in

(वन्दना)
सहायक श्रमायुक्त
मुजफ्फरनगर।

जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

1. **योजना का नाम– बालिका आर्शीवाद योजना**
2. सम्बन्धित विभाग का नाम– श्रम विभाग, उ0प्र0
3. कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम– श्रीमती वन्दना
4. कार्यालय का पता– कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
5. कार्यालय का दूरभाष– 0131–2620910
6. योजना के आरम्भ होने की तिथि– 4 फरवरी 2009
7. योजना की समाप्ति की तिथि–
8. योजना का प्रकार–केन्द्रीय/राज्य/जिला/अन्य– राज्य
9. **योजना का संक्षिप्त विवरण**–निर्माण श्रमिक को कम से कम 01 वर्ष तक बोर्ड का सदस्य होना आवश्यक हैं। परिवार में जन्मी प्रथम बालिका को एवं दूसरी बालिका को इस योजना का लाभ दिया जायेगा। जिसके अन्तर्गत बीस हजार एफ0डी0 के माध्यम से दिया जायेगा जो बतौर सावधि 18 वर्ष के लिये जमा होगा। बालिका के जन्म के एक वर्ष के भीतर जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में दिया जायेगा।
10. योजना के लिये निर्धारित अर्हता– **1**–इस योजना के अन्तर्गत अपनी संतान न होने की स्थिति में बालिका को कानूनी रूप से गोद लिया हो तो उसे प्रथम बालिका मानते हुये अन्य शर्तो के यथावत रहने की स्थिति में योजना का लाभ अनुमन्य होगा। 2–यदि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व संबंधित पुत्री का यदि निधन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हितलाभ अनुमन्य नहीं होगा और सावधि जमा की धनराशि कल्याण बोर्ड के कोष में वापस हो जायेगी। 3– संबंधित बालिका को भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही किसी अन्य योजना का लाभ प्रदत्त न किया गया हो। 4– सावधि जमा (फिक्सड डिपॉजिट) संबंधित बालिका के नाम से द्वारा माता पिता/संरक्षक के नाम से बनाया जायेगा और बालिका की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर तथा उसके उस अवधि तक अविवाहित रहने की स्थिति में संबंधित बालिका द्वारा धनराशि जिले के जिलाधिकारी के अग्रसारण से ही संबंधित बैंक से प्राप्त की जा सकेगी। सावधि जमा की गई धनराशि जिले के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उच्च ब्याज दर वाली योजना में रखी जायेगी। 5– जहां पति एवं पत्नी दोनों ही पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक है तो उन दोनों में से किसी एक को ही यह हितलाभ सुलभ हो सकेगा। 6– परिवार समीपस्थ आंगनबाडी केन्द्र पर बालिका के जन्म के एक वर्ष के अन्दर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। 7– बालिका के जन्म के एक वर्ष के भीतर जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 8– अभिलेख– पंजीयन प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आंगबाडी केन्द्र प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
11. योजना किस वर्ग विशेष के लिये है–**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांग/सामान्य जाति/सीममान्त किसान/बी0पी0एल0/ए0पी0एल0**
12. योजना का आवेदन करने की प्रकिया– क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
13. आवेदन पत्र/फार्म प्राप्त करने का स्थान– कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
14. आवेदन पत्र/फार्म का शुल्क– निःशुल्क
15. आवेदन पत्र/फार्म के साथ आवश्यक संलग्नको का विवरण– क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
16. यदि आवेदन ऑनलाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस– प्रभावी नहीं हैं।
17. योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम– सहायक लेखाकार, मोबाईल नम्बर–0131–2620910
18. योजना के सम्बन्ध में जानकारी/शिकायत करने के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नम्बर/ई–मेल– 0131–2620910
19. विभाग की वेबसाईट का एड्रेस– www.uplabour.nic.in

(वन्दना)
सहायक श्रमायुक्त
मुजफ्फरनगर।